

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 8(17)रूक्टा/अकाद/निकाशि/86/ 275

दिनांक: 14 दिसम्बर, 2012

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (रूक्टा) द्वारा दि० 15.12.12 से 17.12.12 तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में आयोजित 28वें शैक्षणिक अधिवेशन में भाग लेने एवं दिनांक 15.12.12 से 17.12.12 तक का यात्राकाल अवधि सहित शैक्षिक अवकाश (अकादमी अवकाश) स्वीकृत करने की अनुमति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (रूक्टा) द्वारा दि० 15.12.12 से 17.12.12 तक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में ए.आई.फुक्टो का शैक्षिक अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। उक्त अधिवेशन में भाग लेने वाले प्राचार्य/उपाचार्य/व्याख्याता एवं निदेशालय के अधिकारीगणों को राजस्थान सेवा नियम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: एफ 1(12)एफ.डी.(ग्रुप-2)/83 दिनांक 01.04.1983 के अन्तर्गत नियमानुसार दिनांक 15.12.12 से 17.12.12 तक की यात्राकाल अवधि सहित शैक्षिक अवकाश (अकादमी अवकाश) स्वीकृति की अनुमति दी जाती है।

उपर्युक्त अधिकारियों को केवल मात्र एक संगठन द्वारा आयोजित अधिवेशन में भाग लेने तथा उक्त दिवस का उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्त अवकाश का लाभ देय होगा।

उक्त अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकारियों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

भवदीय,

[Signature]
संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

क्रमांक: एफ 8(17)रूक्टा/अकाद/निकाशि/86/ 275

दिनांक: 14 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।
3. कार्यकारी महामंत्री, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (रूक्टा), देराश्री शिक्षक सदन, विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर।
4. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
5. डा० धीरेन्द्र देवर्षि, बैचलर ऑफ़ प्रमोटी, निदेशालय।

[Signature]
संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर